न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या 3 / 28 / 2025 दायर दिनांक 10 / 07 / 2025
जीसीएमएस न0 –2025 / 255 निर्णय दिनांक 18 / 11 / 2025

वउनवान

1. मनसिंह पुत्र घंमडी जाति कोली निवासी डोरोली तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थी———

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. नायब तहसीलदार उप तहसील खेरली मण्डी जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– श्री बलवीरसिह चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1189 रकबा0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1189 रकवा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरली रेल मे नायब तहसीलदार कठूमर के द्वारा प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारों एवं मौतवीरान की उपस्थिति में विधि रूप से सीमाज्ञान किया गया था तथा विधीवत सीमाज्ञान कर सीमा पर निशान लगाए गये और मौके पर पैमाईश टीम द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी का सीमज्ञान करवाने के पश्चायत लगवाये गये निशान स्थाई नहीं लगवाये गये थे तथा प्रार्थी के निवेदन के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान के समय पत्थरगढी नहीं करवाई गई केवल निशानात ही लगवाये गये जो निशान बरसात आंधी आदि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

की बजह से मिट सकते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईस करवा के बीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमाईस के लिये भी मना कर दिया। इसलिये प्रार्थी अपने आराजी खसरा नम्बर 1189 वाके ग्राम खेरली रेल में पडौसी खातेदार के बीच में पैमाईस करावकर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। दिनांक 18.11.2025 को अप्रार्थी उपस्थित होकर पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति मौका पर्चा छाया प्रति वाके ग्राम खेरली रेल पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 1189 ग्राम खेंरली रेल तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 1189 रकवा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरली रेल मे नायब तहसीलदार कठूमर के द्वारा प्रार्थी एवं पडोसी खातेदारों एवं मौतवीरान की उपस्थिति में विधि रू॰ से सीमाज्ञान किया गया था तथा विधीवत सीमाज्ञान कर सीमा पर निशान लगाए गये और मौके पर पैमाईश टीम द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी का सीमज्ञान करवाने के पश्चायत लगवाये गये निशान स्थाई नहीं लगवाये गये थे तथा प्रार्थी के निवेदन के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान के समय पत्थरगढी नहीं करवाई गई केवल निशानात ही लगवाये गये जो निशान बरसात आंधी आदि की बजह से मिट सकते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईस करवा के बीच में डौल डाल देते है तो अप्रार्थी ने पैमाईस के लिये भी मना कर दिया। इसलिये प्रार्थी अपने आराजी खसरा नम्बर 1189 वाके ग्राम खेरली रेल में पडौसी खातेदार के बीच में पैमाईस करावकर पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरली रेल एवं पडौसी खातेदार के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)